

महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

आशियाना, लखनऊ

Website : mbpgpgc.in

Email : mbpgdclko@gmail.com



स्थापना वर्ष 1999

आनलाईन प्रवेश हेतु निर्देशिका
PROSPECTUS FOR ONLINE ADMISSION

सत्र : 2024-25

रजिस्ट्रेशन शुल्क रु. 150 / -

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

लखनऊ के सीमान्त नगरीय एवं समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई जिसका प्रथम सत्र 2001-2002 से आरम्भ हुआ। इस महाविद्यालय का नामकरण इतिहास प्रसिद्ध महान योद्धा महाराजा बिजली पासी के नाम पर किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-एम, आशियाना में उपलब्ध कराई गई 5.6 एकड़ भूमि पर यह महाविद्यालय स्थापित है। इस महाविद्यालय के पास अपना भव्य भवन एवं क्रीडांगन है। महाविद्यालय के पूर्वनिर्मित भवन में प्रशासनिक भवन व शैक्षणिक कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं के संचालनार्थ विज्ञान भवन एवं छात्र/छात्राओं के बहुमुखी सांस्कृतिक विकास हेतु बहुउद्देशीय हॉल तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु परास्नातक भवन का निर्माण हो चुका है। पुस्तकालय अपने नवनिर्मित भव्य भवन में स्थापित है। महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत कक्षाओं के संचालन हेतु वाणिज्य भवन का निर्माण हो चुका है तथा सत्र 2014-15 से विश्वविद्यालय द्वारा बी.काम. कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। उत्कृष्टता, सर्वांगीण विकास एवं सर्वसुलभ शिक्षा के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु यह महाविद्यालय प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय का NAAC द्वारा मूल्यांकन भी वर्ष 2009 में कराया जा चुका है। महाविद्यालय में वर्ष 2009 से उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है जिसके अन्तर्गत बी.ए., बी.एल. आई.एस-सी, एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य) एवं अनेक डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र कोर्स के अध्ययन की व्यवस्था है। महाविद्यालय में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का अध्ययन केन्द्र भी संचालित हो रहा है जिसके माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है।

Our Vision

- } To contribute to the Nation through excellence in all spheres of academics.
- } To instill the values of academic integrity and accountability.
- } To generate gender equality in society by inspiring the girl students to be more participative in extracurricular activities.
- } To evaluate the values of respect and tolerance in every individual.
- } To evaluate the spirit of intellectual excellence and creativity.
- } To develop human potential to its fullest extent so that intellectually capable and imaginatively creative leaders can emerge.

Our Mission

- It is our constant effort to provide a conducive atmosphere not only for academic excellence but also for the development of a high moral and spiritual character.
- Our efficient and highly qualified faculty not only imparts education but also counsels and monitors for building up of morally upright and innovative students.
- To promote gender equality in day to day life at campus and help facilitate Women empowerment.
- To be a centre of excellence through the process of self – evaluation and continual renewal in all our endeavours, namely learning, teaching and research.
- To inculcate moral values in students and make them academically qualified, morally upright and socially responsible.
- Industry interface has a special place in the curriculum and the institution constantly tries to address the demand for better institutional collaborations.

Objectives

- To Empower the Youth to assume Leadership.
- To Develop Critical Thinkers and Concerned Citizens.
- To Contribute New Perspectives to the World of Knowledge.
- To enhance Quality Education.
- To Sustain Democratic Spaces for Creative Explorations.
- To Provide a context of learning that enhances professionalism, Humanism and Social Responsibility.

महाविद्यालय एक दृष्टि में

(लखनऊ विश्वविद्यालय का एक सहयुक्त महाविद्यालय तथा NAAC द्वारा मूल्यांकित)

स्थापना वर्ष	: 2001
कुल भूमि	: 5.6 एकड़
संचालित पाठ्यक्रम	: बी.ए. (10 विषय) : बी.एस-सी. (05 विषय) : बी.काम. : एम.ए. (हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अंग्रेजी), एम.एससी. (वनस्पति विज्ञान)
शोध	: हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
कुल शिक्षक	: स्वीकृत पद-29 : कार्यरत-29
पुस्तकालय	: प्रवक्ता लाइब्रेरी-01 (5496 पुस्तकें), ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध
वाचनालय	: 07 शोध पत्रिकाएं, 06 पत्रिकाएं, 3 समाचार-पत्र
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	: 03
प्रयोगशाला सहायक	: स्वीकृत पद 04 : कार्यरत 01+1=02
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	: कोई पद सृजित नहीं है।
कुल छात्र सं.	: 1176

जलचम लवनत जमगज

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ होगा। प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्रायें प्रवेश आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विवरणिका का भलीभांति अध्ययन कर लें।

प्रवेश हेतु उ.प्र. शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों/नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु क्रमशः 21, 2, 27 तथा 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त आरक्षित के प्रवेशार्थियों का सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

स्नातक कक्षाओं में ऑन-लाइन प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं सूचनाएँ

स्नातक प्रथम वर्ष (बी.ए., बी.एस-सी., बी. काम)

1. प्रवेश आवेदन करने की तिथि- 10 अप्रैल, 2024 से प्रारम्भ
2. प्रवेश हेतु मेरिट सूची का प्रकाशन-

प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट्ट तथा वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। सूची में काउंसलिंग का दिनांक व समय अंकित होगा जिसे देखने का सम्पूर्ण दायित्व प्रवेशार्थी का होगा।

नोट सत्र 2023-24 में इण्टरमीडिएट कक्षा में अध्ययनरत अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल अभी घोषित नहीं हुआ है वे परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् रजि. पोर्टल पर अपने अंको को अपडेट करेंगे। तभी उनका रजि0 प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

काउंसलिंग के समय प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र

बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे-

1. हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति।
2. 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
3. अंतिम शिक्षा संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में एवं टी.सी./प्रवजन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
4. पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को केन्द्र प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र तथा संस्थागत छात्रा के रूप में जिस कक्षा तक अध्ययन किया गया हो, की टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल सत्यापित प्रति।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनका पूर्व वर्षों के अध्ययन में गैप रहा हो, नोटरी के माध्यम से इस आशय का शपथ-पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करें कि उसने विगत वर्षों में कहीं भी संस्थागत छात्रा के रूप में अध्ययन नहीं किया है।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/अपंग सुरक्षाकर्मी/विकलांग/एन.सी.सी./प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने से सम्बन्धित प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. प्रवेश आवेदन-पत्र अभिभावक/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप I एवं II संलग्न है)
9. प्रवेशार्थी के लिए यह अनिवार्य है कि एन्टी रैगिंग शपथ-पत्र (प्रारूप-3) प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करें।

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी नियम-

किसी भी प्रवेशार्थी (जो प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखता है) को निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत प्रवेश अनुमन्य होगा-

1. बी.ए./बी.काम. तथा बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में **NEP 2020** के निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी जिसमें सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश आवेदन हेतु इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
 2. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों के प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 3. प्रवेशार्थी को प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति की संस्तुति पर ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर ही संस्तुत किया जायेगा।
 4. निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 5. प्रवेश समिति द्वारा योग्यता सूचियाँ नियमित अन्तराल पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर एवं मोबाइल मैसेज द्वारा प्रदर्शित की जायेगी जिनमें प्रवेशार्थियों हेतु काउंसेलिंग की तिथि व प्रवेश सम्बन्धी अन्य सूचनायें भी अंकित होंगी। अन्यथा की स्थिति में प्रवेशार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 6. ऐसे प्रवेशार्थी जिन्हें इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये एक से तीन वर्ष हुआ है, उन्हें प्रवेश हेतु अन्य शर्तें सामान्य होने की दशा में उनके कुल प्राप्तांक में से प्रति वर्ष 5 अंक प्रतिवर्ष कटौती करते हुए योग्यता सूची में स्थान दिया जायेगा।
 7. प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु काउंसेलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। काउंसेलिंग के समय अभ्यर्थी को अपने साथ समस्त मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों एवं अन्य प्रलेखों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है। इनके प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में प्रवेश संस्तुत नहीं किया जायेगा।
 8. वाणिज्य विषय में प्रवेश हेतु वाणिज्य विषय में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इण्टरमीडिएट में गणित अथवा अर्थशास्त्र विषय होने पर ही बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा। जीव विज्ञान होने प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
 9. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु काउंसेलिंग के दिन अनुपस्थित रहता है अथवा प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकतायें निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस दशा में उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर योग्यताक्रम **(Merit)** में आने वाले अगले अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार कर लिया जायेगा।
 10. बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों का प्रवेश संस्तुत हो जाने की दशा में तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेशाधिकार निरस्त माना जायेगा।
 11. लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र पर सामान्यतया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में भरे जाते हैं। परीक्षा फार्म का भरा जाना परीक्षार्थी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। परीक्षा आवेदन-पत्र की निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जा सकेंगे।
 12. यदि कोई प्रवेशार्थी ऑन-लाइन आवेदन के समय किसी भी तरह के असत्य/गलत सूचना देता है तो प्रवेश समिति को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि, उसका प्रवेश निरस्त कर दें, तथा आवश्यक कार्यवाही करें।
- महत्वपूर्ण निर्देश प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राओं को महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन से पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जाकर LURN के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष-

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को परीक्षाफल घोषित होने के दस दिन के भीतर अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा।

परास्नातक कक्षाओं में आन-लाइन प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं सूचनाएँ

परास्नातक प्रथम वर्ष -

1. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि-

मई 2024 द्वितीय सप्ताह से प्रारम्भ (विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात्)

2. मेरिट सूची प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त। महाविद्यालय की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगी।

प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र-

1. हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति।
2. 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
3. बी.ए. तृतीय वर्ष की अंकतालिका की सत्यापित छायाप्रति।
4. ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से भिन्न किसी दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उनको माइग्रेसन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है उसके बिना प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी नियम-

किसी भी प्रवेशार्थी (जो प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखता है) को निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत प्रवेश अनुमन्य होगा-

1. अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय के स्नातक पाठ्यक्रम:-

	न्यूनतम प्रतिशत अंक	
	GEN/OBC	SC/ST
<input type="checkbox"/> के तीनों वर्षों में अध्ययन किए जाने की स्थिति में	45%	40%
<input type="checkbox"/> के अन्तिम वर्ष में अध्ययन न किए जाने परन्तु स्नातक के प्रथम दो वर्षों में अध्ययन किए जाने की स्थिति में	45%	45%
<input type="checkbox"/> विषय का स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन न किए जाने की स्थिति में	50%	50%

2. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश स्नातक कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में प्रदान किया जायेगा।

3. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की 80 प्रतिशत सीटें उन अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायंगी, जिन्होंने स्नातक परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। शेष 20 प्रतिशत सीटें सम्मिलित अभ्यर्थियों से स्नातक कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में भरी जायेंगी

4. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में समान प्राप्तांक होने की दशा में स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में चयनित (एम.ए. प्रथम वर्ष) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यताक्रम निर्धारित किया जायेगा।

5. यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो उसे अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर कक्षा में एक से अधिक विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसके प्रत्येक विषय के लिए पृथक से प्रवेश आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा।
8. प्रवेश निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
9. प्रवेश संस्तुत हो जाने की दशा में तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेशाधिकार निरस्त माना जायेगा।
10. लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली की व्यवस्था के अन्तर्गत करायी जाती है, प्रत्येक सेमेस्टर के लिए पृथक से परीक्षा आवेदन-पत्र व प्रवेश आवेदन-पत्र भरने होंगे।
11. विश्वविद्यालय परीक्षा प्रवेश-पत्र प्राप्त करने से पूर्व छात्रा को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा (स्नातक एवं परास्नातक)-

1. जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका हो।
2. जो अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी पाया गया हो।
3. जो गत वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया गया हो।
4. जो किसी आपराधिक मामले में सजा पा चुका हो अथवा जिस पर कोई अभियोज चल रहा हो या जिसका आचरण संदिग्ध हो।
5. जिसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया हो तथा स्नातक के लिए इण्टरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया हो।
6. अनियमित रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेने पर अथवा प्रवेश सम्बंधी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
8. कक्षायें आरम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रा को विषय की शुल्क रसीद/बैंक जमा पर्ची दिखाकर विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
9. गैप प्रमाण-पत्र: यदि स्नातक परीक्षा/अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने के अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का 10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रवेश के समय जमा करें।

उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत सीट संख्या

स्नातक-

क्र० सं०	कक्षा	विषय	सीटों की संख्या
1.	बी०ए० प्रथम वर्ष	-	600
2.	बी०एस-सी०-	गणित वर्ग	60
		जीव विज्ञान वर्ग-	60
3.	बी. काम.		60

परास्नातक-

क्र० सं०	कक्षा	विषय	सीटों की संख्या
1.	एम०ए०	हिन्दी	60
2.	एम०ए०	भूगोल	60
3.	एम०ए०	समाजशास्त्र	60
4.	एम० ए०	अर्थशास्त्र	60
5.	एम० ए०	अंग्रेजी	60
6.	एम० एससी०	वनस्पति विज्ञान	30

बी०ए०- (1) हिन्दी, (2) अंग्रेजी (3) संस्कृत (4) गृह विज्ञान (5) मनोविज्ञान (6) भूगोल (7) इतिहास (8) अर्थशास्त्र (9) समाजशास्त्र (10) शारीरिक शिक्षा।

बी०ए० प्रथम वर्ष में 02 मेजर विषय और 01 माइनर विषय **01 Co-Carricular+01 Voc. Sub** का चयन करना होगा।

Add-on-Course उपरोक्त **Compulsory** तथा वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित **Add on-Courses** का शिक्षण होगा परन्तु इन ब्वनतेमे का परीक्षा/परीक्षाफल से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(1) Value Education, (2) Communicative English (3) Computer Literacy

वैकल्पिक विषय चयन सम्बन्धी प्रतिबन्ध-

- केवल समूह ग से दो विषय का चयन किया जा सकता है।
- समूह क एवं ख प्रत्येक समूह से केवल एक विषय का ही चयन किया जा सकता है। केवल तीन विषय का चयन किया जाना है। चयन समूह के प्रत्येक विषय में केवल 60 सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा

समूह- क	समूह-ख	समूह-ग
भूगोल	अंग्रेजी	हिन्दी, समाजशास्त्र
गृहविज्ञान	संस्कृत	इतिहास, मनोविज्ञान
शारीरिक शिक्षा		अर्थशास्त्र

प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

बी0एस-सी0 :

गणित वर्ग- भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान,

जीव विज्ञान वर्ग- जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान

बी0 काम0 - सभी अनिवार्य विषय

परास्नातक :

परास्नातक स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

क्र0सं0	कक्षा	विषय
1.	एम0ए0	हिन्दी
2.	एम0ए0	भूगोल
3.	एम0ए0	अर्थशास्त्र
4.	एम0ए0	समाजशास्त्र
5.	एम0ए0	अंग्रेजी
6.	एम0एससी0	वनस्पति विज्ञान

साक्षात्कार सम्बन्धी निर्देश (स्नातक एवं परास्नातक)

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को मेरिट सूची में नाम आने के पश्चात् प्रवेश समिति के समक्ष सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय अनुपस्थित अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा और रिक्त सीट पर अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

साक्षात्कार के समय टी0सी0 या केन्द्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति के प्रवेश समिति के पास जमा करना अनिवार्य है। टी0सी0 या सी0सी0 के अभाव में प्रवेश मान्य नहीं होगा।

प्रवेश संस्तुत होने के पश्चात् प्रवेशार्थी **शुल्क ऑन-लाइन महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से जमा करेंगे।** इसके उपरान्त रसीद दिखाकर परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड बनवाना भी अनिवार्य है। प्रवेश के पश्चात् अपने विषय से सम्बन्धित कक्षा में उपस्थित न होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं संस्था के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड का गठन किया है। महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था तोड़ने पर दोषी छात्र/छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को प्राप्त है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक अनुशासन समिति के पदेन सदस्य हैं।

प्रत्येक छात्र/छात्रा को अनुशासन सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा को एवं महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।
2. मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग महाविद्यालय परिसर में निषिद्ध है।
3. किसी भी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में लाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. छात्राओं के लिए कामनहाल की व्यवस्था है जहाँ वे खाली वादनों में बैठ सकती हैं।
5. पान मसाला, गुटखा या अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. रैगिंग सत्रैय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ इण्डियन पैनल कोर्ट (आई.पी.सी.) के अर्न्तगत Act against Ragging के तहत दण्ड निर्धारित होगा तथा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित योग्यता एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रवेश लेता है तो तथ्य उद्घाटित होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उसके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा।
8. महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति अशालीन व्यवहार करना, या किसी बात को मनवाने के लिए सहपाठियों एवं छात्र/छात्राओं को प्रशासन के विरुद्ध भड़काना, प्रदर्शन एवं आंदोलन करना अनुशासनहीनता है। ऐसे में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. छात्र/छात्राएँ अपने वाहन स्टैण्ड पर ही खड़ा करें। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा।
10. यदि कोई भी छात्र/छात्रा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके स्कालर रिकार्ड में तथा महाविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि अंकित जाएगी।

महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित गणवेश (ड्रेस) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु-

- छात्राओं हेतु - चेकदार कुर्ता, सलवार तथा दुपट्टा ग्रे कलर का (नमूने के अनुसार)
छात्रों हेतु - चेकदार शर्ट, पैंट ग्रे कलर की (नमूने के अनुसार)



ड्रेस हेतु नमूना

**भारण एवं आरक्षण के लिए प्रमाण-पत्र
निम्नलिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे-**

वर्ग	सक्षम अधिकारी	प्रतिशत/भारांक
1. उत्कृष्ट खिलाड़ी या गाइड/ रेंजर (पिछले 03 वर्षों में)	शिक्षा अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी या आयोजक संस्था के अधिकारी या लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष या प्रधानाचार्य प्रतिहस्ताक्षर।	5 प्रति. भारांक
2. विकलांग	जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी।	5 प्रति. क्षैतिज
3. स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्री	जिलाधिकारी	2 प्रति. क्षैतिज
4. सांस्कृतिक/पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में पिछले 03 वर्षों में विशेष उपलब्धि।	शिक्षा अधिकारी, आयोजक संस्था के अधिकारी	3 प्रति. भारांक
5. एन.सी.सी.-बी./सी. प्रमाण पत्र	सम्बन्धित यूनिट/बटालियन के समादेश अधिकारी।	5 प्रति. भारांक
6. अनु. जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति/वर्ग	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार।	अनु.जाति/ जनजाति 21+2 प्रतिशत, पि. जाति 27 प्रतिशत
7. क्षेत्रीय युवा समारोह में विगत 3 वर्षों में विशेष उपलब्धि	जिला अथवा क्षेत्रीय अधिकारी/ आयोजक या संचालक	3 प्रतिशत
8. विधवा या परित्यक्ता	कानूनी/अधिकृत अधिकारी/अभिलेख	1 प्रति, क्षैतिज
9. शहीद या प्रतिरक्षा कार्य में अपंग हुए सेवामुक्त कर्मों की पुत्र/पुत्री/पत्नी बहन	सोलजर्स बोर्ड/सक्षम सैन्य अधिकारी या अभिलेख	2 प्रति. क्षैतिज
10. निम्नलिखित श्रेणी के खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार भारण (Weightage) देय होगा :- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जनपद में चयन के पश्चात टीम की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछले दो वर्षों में भाग लिया हो। डी. आई.ओ.एस./आर.आई.जी.एस./डी.डी.ओ. द्वारा दिये गये मूल प्रमाण-पत्र ही केवल मान्य होंगे।	अथवा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रतियोगिताएं आधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों। इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों अथवा राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल प्रमाण पत्र ही केवल मान्य होंगे।	
11. यदि किसी अभ्यर्थी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे परास्नातक में प्रवेश के समय मेरिट (योग्यता) अंकों में 5 अंक का भारांक दिया जायेगा लेकिन प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए इसको नहीं जोड़ा जायेगा।		

नोट- 1. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

2. कुल वरीयता अंकों (भारण) का योग 10 प्रतिशत भारांक से अधिक नहीं होगा।

गैप इयर हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप-01

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं.....पुत्री/पुत्र श्री.....

पता

..... जो आपके महाविद्यालय (महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आशियाना, लखनऊ) में कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इण्टर/बी.ए. /बी.एस.सी./बी.काम. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण की है इसके बाद वर्ष से वर्ष तक मैंने किसी भी अन्य संस्थागत विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल में कारण/कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था/सकी थी।
3. यदि मेरा उक्त बयान/घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे वि-द्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
4. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

प्रार्थी/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तिथि :

प्रार्थी का नाम

पिता का नाम

पता

.....

(प्रारूप-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पति / पुत्री ग्राम / कस्बा

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परसम्पत्ति नहीं है-

- i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- iii. अधिसूचना नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- iv. अधिसूचना नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचना नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट /

परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

(प्रारूप-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा-पत्र
स्वयं घोषणा-पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी
ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील

जिला राज्य मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में)..... है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।

4. मैं घोषण करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :-

- i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- iii. अधिसूचना नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- iv. अधिसूचना नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्णरूप में जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन-पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण-पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :

दिनांक :

महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

आशियाना, लखनऊ

Undertaking/Declaration 2024-25

I,S/o or D/o Shri..... here by declare that:-

1. The facts given by me in the admission form are true to the best of my knowledge. I declare that I have not concealed any fact which is important to be disclosed by a bonafide student of the University/ College/ Institution. I understand that concealment of facts is punishable at any point of time.
2. I agree to abide by the rules and regulations of the University/ College/ Institution applicable from time to time and will not indulge in any activity which brings disrepute to my College/ Institution and University. I also declare that I will not pursue for appearing in University examination if my attendance falls below 75% .
3. I understand that ragging as defined by the authorities like Hon'ble Supreme Court/ Hon'ble High Court/ Central Govt./ State Govt./ UGC/ University etc, is a punishable offence. I am fully aware of the consequences of my indulgence in any sort of ragging and hence I will not involve myself in any act of ragging of and off campus of the University/ College/ Institution.
4. I also understand, in case, I am found guilty of my such activity, narrated in the foregoing points, I will be liable for punishment which may be extent of my expulsion/ rustication from the University/ College/ Institution/ Including initiation for legal criminal proceedings against me.

Signature of the Student :.....
Name of Student :.....
Father's Name :.....
Course of Study :.....
Year of Admission :.....

The above named Candidate is Son/ Daughter/ Daughter-in-law/ Son-in-law/ Wife/ Ward of the undersigned. The Undersigned as parent/ guardian owes whole responsibility to the above declaration signed by the above named student. In case, the above named student is found guilty of any unlawful activity/ ragging done by him/her/, the undersigned has no objection if he/she is blacklisted/ debarred/ expelled/ rusticated and/or any legal criminal proceeding is initiated against him/her by the State/ University/College/ Institution at any stage during his/her course of study.

As parent/ guardian, the undersigned himself/herself will be agreeable to any punitive action taken against the above named student by the State/ University/ College. Institution as per statutory provisions.

Signature of Parent/Gauradian :.....
Name of Parent/ Gauradian :.....
Relation with the Student :.....
Date :.....
Place :.....